चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/5017
दिनांक :– 07.01.2023

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 संस्थान/महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध बी0एड0 संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के भौतिक सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 11.08.2021 में पारित आदेशों के अनुपालन में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध बी0एड0 संस्थानों में हो रही अनियमितताओं की जाँच एवं संस्थान में कार्यरत शिक्षकों के भौतिक सत्यापन हेतु जनपदवार जाँच समितियों का गठन किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित जाँच समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि कि किन्चिंत बी0एड0 संस्थानों ने जाँच में सहयोग नहीं किया है। कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित जाँच समितियों द्वारा दिनांक 10.01.2023 से पूर्व की व्यवस्था के अनुसार सम्बद्ध बी0एड0 संस्थानों/महाविद्यालयों का भौतिक निरीक्षण करेंगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त जाँच समितियों को जाँच में सहयोग प्रदान करें। यदि जाँच समिति द्वारा किसी संस्थान के विरूद्ध असहयोग किये जाने सम्बन्धी शिकायत विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जाती है तो उक्त संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा संस्थान को शैक्षिक सत्र 2023–2025 की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिसका समस्त उत्तर दायित्व संस्थान का स्वयं का होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–
01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. वित्त अधिकारी महोदय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. समिति के मा0 सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. प्रभारी वेबसाइड, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)